भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1614

जिसका उत्तर 21 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

30 भाद्रपद, 1942 (शक)

आधार सेवा केन्द्र

1614. श्री गोपाल जी. ठाकुर:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार कार्ड कार्य अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्थानीय स्तर पर आधार केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण कई कल्याणकारी लाभ प्राप्त करने में आम लोगों को समस्या हो रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का देशभर की प्रत्येक पंचायत में आधार सेवा केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त केन्द्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क): जी, नहीं।

(ख) : आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 की अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित करता है कि "यदि किसी व्यक्ति को कोई आधार संख्या नियत नहीं किया गया है तो उस व्यक्ति को सहायिकी हितलाभ या सेवा की प्रदायगी के लिए वैकल्पिक और सक्षम पहचान के साधन दिए जाएंगे।"

इसके अलावा, आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनयम 12 के अनुसार "किसी भी केन्द्रीय या राज्य विभाग या एजेंसी जिसे अधिनियम की धारा 7 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किसी भी सहायिकी हितलाभ या सेवा के प्राप्ति के लिए शर्त के रूप में उस व्यक्ति को आधार संख्या के प्रमाणीकरण या प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है वे अपने उन लाभार्थियों को जिन्हें अभी नामांकित होना है, के नामांकन को उपयुक्त माध्यम जिसमें रजिस्ट्रार के साथ समन्वय, सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केन्द्र की स्थापना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन की सुविधा प्रदान करना शामिल है के माध्यम से सुनिश्चत करेगा" ।

(ग) और (घ) : जी, नहीं। निवसियों को आधार नामांकन और अद्यतन सेवा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों, बैंकों, डाक विभाग और सामान्य सेवा केन्द्र विशेष प्रयोजन वाहन (सीएससी एसपीवी) को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है। पूरे देश में 35,000 से अधिक आधार नामांकन और अद्यतन केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

*****